

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी:- उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

1. परिवन्द्र सिंह पुत्र मखनसिंह जाति जट सिख निवासी बेहवाला कलां तह.टिब्बी।  
-वादी

बनाम्

1. मखनसिंह पुत्र भागसिंह जाति जट सिख निवासी बेहवाला कलां तहसील टिब्बी।
2. कुलविन्द्र कौर पत्नी मखनसिंह जाति जट सिख निवासी बेहवाला कलां तह.टिब्बी।
3. सुखमहेन्द्रसिंह पुत्र मखनसिंह नाबालिग जरिये कुदरती बली माता कुलविन्द्रसिंह जाति जट सिख निवासी बेहवाला कलां तहसील टिब्बी।
4. राजदीप कौर पुत्री मखनसिंह जाति जट सिख निवासी बेहवाला कलां तह. टिब्बी।
5. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।  
-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर. ए. एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महेश कुमार गौड वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री हरविन्द्र सिंह गिल मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम से भूमि चक नं. 644 आरडी के खाता संख्या 84/77 में कुल 7.337 है. नहरी भूमि में से प.नं. 228/305 मु.नं. 66 कि.नं. 16 ता 19, 21 ता 25 कुल 2.277 है. नहरी भूमि आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं. 644 आरडी के खाता संख्या 84/77 में से 2.277 है. रकबा कम कर शेष रकबा प्रतिवादी संख्या 1 यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। बैंक ऋण होने पर बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 14/9/18 अदा करें।

बसब्त मेरे दस्खत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 14/9/18 को जारी किया गया।



( उम्मेद सिंह रतनू )  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी